नायब तहसीलदार
मेड़ता

9/3/17

पत्रावली पेश। पटवारी की रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली दिनांक 30/3/17 को पेश हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

30/3/17

पत्रावली पेश। पटवारी की रिपोर्ट अप्राप्त फिर दिनांक 20/4/17 को पेश हो।

नायब तहसीलदार
मेड़ता

20/4/17

पत्रावली पेश। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त।

संक्षेप में प्रकरण में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बगाण ने सी.आर.पी.सी. के तहत प्रेषित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपराधी भगवानसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत के हित निवासी रूपालिया मौजा रूपालिया के ख.न. 420 रकबा 0.0130 हे. किस्म ई.पी. और की भूमि पर संवत 2073 में पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा किया।

इस पर अपराधी के विरुद्ध धारा 91 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामिल हुई। अपराधी उपस्थित पश्चात पेश कर गुनाह अपराधी पर उसका कब्जा होना बताया। इस पर पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट ली गई। जिसके अनुसार अधिग्रहीत का गुनाह अपराधी पर कायम है। अतः अपराधी को अधिग्रहीत घोषित किया जाता है एवं उपरोक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखली आदेश दिया जाता है। गैरकानूनी को बजाय 400 वर्गगज (0.059) 50 गुणा 50 रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैरकानूनी को मौखिक रूप से बेदखल करने एवं जुर्माना वसूली एवं मौजा कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का बगाण व TRA को लिखा जावे। पत्रावली बाद पालना के फाईल प्रगट होकर वापस से कार्य हो।

निर्णय सुनाया गया।

वर्ष 2017-18 क्रमांक 3
अ.सं. 4 के पृष्ठ सं. 52 पर दर्ज की

तहसील राजस्व लेखाकार मेड़ता

नायब तहसीलदार
मेड़ता